

संख्या 27/02/2012-SRS

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून

विषय: श्री विपिन बिहारी लाल, उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के उत्तर प्रदेश आवंटन के स्थान पर उत्तराखंड आवंटन ।

महोदय,

ऊपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है की परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 17-10-2011 को आयोजित बैठक में श्री विपिन बिहारी लाल, उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के प्रकरण पर यह निर्णय लिया गया था कि वह अनुसूचित जाती के कार्मिक होने के कारण तथा दिनांक 28/29-07-2008 एवं दिनांक 24-06-2010 के आदेशों द्वारा जारी दिशानिर्देशों से आच्छादित होने के कारण उनका आवंटन उत्तराखंड कर दिया जाए । परंतु त्रुटिवश बैठक के कार्यवृत्त में आवंटित राज्य उत्तर प्रदेश उल्लिखित हो गया । समिति के दिनांक 09-02-2012 को आयोजित बैठक में मामले पर गौर किया गया तथा राज्यावंटन में संशोधन करते हुए श्री लाल का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य किए जाने कि संस्तुति की गई ।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा श्री विपिन बिहारी लाल, उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी का अंतिम आवंटन उत्तराखंड के लिए किया जाता है । संबंधित कार्मिक को आवंटन के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, मेदीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव तथा पुनर्गठन आयुक्त, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

